न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 55/2023

अपीलांट–   ***बनाम***   **रेस्पोडेंट–**

1. रेखाराम पुत्र शेराराम
2. ओमाराम पुत्र शेराराम
3. जेठाराम पुत्र शेराराम
4. जोगाराम पुत्र शेराराम
5. तीलाराम पुत्र शेराराम
6. मीरादेवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवासी लुम्बनाथनगर पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 1670 दिनांक 04.10.2023 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 13.01.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम लुम्बनाथनगर पटवार हल्का उडासर के खसरा नंबर 657/4, 657/9 क्रमशः रकबा 9.0002 व 3.2375 हैक्टेयर किस्म बा0 सो0 में से क्रमशः 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में पारित स्वीकृत आदेश दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा ग्राम लूम्बनाथनगर पटवार हल्का उडासर के खसरा नंबर 657/4, 657/9 क्रमशः रकबा 9.0002 व 3.2375 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान ओमाराम, जेठाराम, जोगाराम,

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तीलाराम पि. शेराराम, मीरादेवी पत्नि शेराराम कौम जाट ग्राम लूम्बनाथनगर पटवार मण्डल उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 04.10.2023 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी उड़ासर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1670 दिनांक 04.10.2023 पारित किया गया। अपीलांट्ा ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम लूम्बनाथ नगर पटवार हलका उडासर के खसरा संख्या 657/4, 657/9 रकबा क्रमशः 9.0002 व 3.2375 हैक्टैयर आया हुआ है। जिसमें काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। कुछ लोगो ने अपीलांट्स के हस्ताक्षर खाली कागजों पर करवाकर अपीलांट्स को बताया कि आपके खेत खसरा संख्या 657/4 मे समर्पण करना है तथा आगे के खातेदार खसरा नंबर 657/5, 657/7 एएवं 657/8 इस रास्ते से जुड़ेगे तथा आपको 657/8 वाला आपके दूसरे खेत खसरा नंबर 657/9 को रास्ते से ज[illegible] जिस पर अपीलांट्स ने विश्वास कर उनके कहे अनुसार खाली [illegible]न/अगुठे कर दिये। गांव मे एक व्यक्ति जो बदमाश प्रवृति का है तथा अपीलांट्स से रंजिश रखता है ने कागज तैयार करते समय बिना आवश्यकता तथा न ही कोई रास्ता जुड़ रहा था इसके बावजूद खसरा नंबर 657/4 के साथ 657/9 के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

पश्चिमी सेढे पर 0.0546 हेक्टेयर बिना वजह इन्द्राज कर कटाण करवा दिया जबकि इस समर्पण से बन रहे कटाण से कोई भी खातेदार नहीं जुड़ रहा है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश अवैधानिक होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. हमने अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ग्राम मौजा ग्राम लूम्बनाथनगर पटवार हल्का उडासर के खसरा नंबर 657/4, 657/9 क्रमशः रकबा 9.0002 व 3.2375 हैक्टेयर भूमि के खातेदारान ओमाराम, जेठाराम, जोगाराम, तीलाराम पि. शेराराम, मीरादेवी पत्नि शेराराम कौम जाट ग्राम लूम्बनाथनगर पटवार मण्डल उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर ने दिनांक 04.10.2023 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी उड़ासर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1670 दिनांक 04.10.2023 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तुत की गई है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम लूम्बनाथ नगर पटवार हलका उड़ासर के खसरा संख्या 657/4, 657/9 रकबा क्रमशः 9.0002 व 3.2375 हैक्टेयर ... हुआ है। उतरदाता ने अपीलांट्स को बिना जानकारी के ही ... राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु आवेदन ... पेश किया। उक्त समर्पण पत्र पर अपीलांट्स के फर्जी हस्ताक्षर किये गये जिस संबंध में अपीलांट्स को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई न ही अपीलांट्स के

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

खातेदारी के खेत मे बिना आवश्यकता के बेवजह दो रास्ता निकलना अनुचित व अवैध है तथा अपीलांट्स भी रास्ता देने में सहमत है परन्तु उतरदाता द्वारा बिना अपीलांट्स को पुछे मनमर्जी से छल पूर्वक हस्ताक्षर कर गलत खसरे मे गलत जगह तरमीम कर अपीलांट्स के कब्जा काश्त के खेत मे बेवजह रास्ता निकालना अनुचित व अवैध है। जिस कारण उक्त समर्पण को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स को सुनवाई अवसर दिये बिना ही उसके हितों पर कुठारघात करते हुए उसके उक्त समर्पण पारित किया गया जो अपास्त करने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा ग्राम लूम्बनाथनगर पटवार हल्का उडासर के खसरा नंबर 657/4, 657/9 क्रमशः रकबा 9.0002 व 3.2375 हैक्टेयर भूमि के समर्पण भूमि 0.1214 व 0.0546 हैक्टेयर हेतु पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी उडासर द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि में रहन दर्ज हैं तथा आने–जाने हेतु रास्ता हेतु है। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.10.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के इस अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:36:55 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर